न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 12/2012 (2012/00059)

तारीख दायरा—17.10.2012

तारीख निर्णय—16.01.2020

1. श्रीमती बाबुबाई पुत्री मोडा पत्नी नारायण जोशी उम्र 52 वर्ष निवासी कागटी, तहसील गोगुन्दा।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री हिरालाल पिता मोडा मेहता निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री ओगडमल पिता मोडा मेहता निवासी नान्देशमा हाल स्वराज नगर माछला मगरा गली नम्बर 4 उदयपुर।
3. श्री डालचन्द पिता मोडा मेहता निवासी नान्देशमा हाल स्वराज नगर माछला मगरा गली नम्बर 4 उदयपुर।
4. श्री देवीलाल पिता नारायण मेहता निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री गणपतलाल पिता नारायण मेहता निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती गीता पुत्री नारायण मेंहता पत्नी हरिराम जोशी निवासी मादरेचों का वास गोगुन्दा , तहसील गोगुन्दा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत नान्देशमा नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक फैसल 26.06.1990 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री संजय मेहता

प्रतिवादी की ओर से— श्री जी एस मेहता

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि श्रीमती बाबूबाई पुत्री मोड़ा जी पत्नी नारायण लाल जी जोशी उम्र 52 वर्ष निवासी कागटी तरपाल ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लैंड एक्ट 1956 पेश कर ग्राम पंचायत नांदेशमा द्वारा पारित नामांतरण संख्या 168 फैसल दिनांक 26 जून 1990 को निरस्त करने का निवेदन किया कि मोडा जी मूल पुरुष थे जिनका स्वर्गवास सन 1990 में हो गया था तथा मोड़ा जी के वारिसान में चार लड़के नारायण ,हीरालाल , ओगड़मल व डालचंद थे एव एक लड़की बाबूबाई थी पांचों वारिसान का मोड़ा जी की जायदाद में 1/5, 1/5 बराबर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

हिस्सा था नारायण लाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके 3 वारिस देवीलाल ए गणपत लाल व श्रीमती गीता है इस प्रकार अपीलांट का एक बटा पांचवा हिस्सा है परंतु विरासत से जो नामांतरण भरा गया उसमें अपीलांट का नाम दर्ज करने से रह गया या रेस्पोंडेंट संख्या 1,2व3 ने अपने ही नाम बता दिए व जानबूझकर अपीलान्त का नाम छिपा दिया जबकि अपीलान्त विवादित जमीन के बराबर के हिस्से की मालिक काबीज है उसका नाम भी इंतकाल भरकर स्वीकृत करना चाहिए परंतु जानबूझकर उसका नाम छिपा दिया गया अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय व विधि के विरुद्ध होकर काबिल निरस्त है यह की कथित नामांतरण जानबूझकर रेस्पोंडेंट ने पटवारी हल्का को अपने आप को वारिस बताते हुए पटवारी हल्का से गलत नामांतरण पेश करवाया यहां तक कि इंस्पेक्टर ने भी वारिसान की जांच नहीं की तथा पटवारी ने भी कथित नामांतरण को पंचायत से स्वीकृत करवा लिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होकर काबिल निरस्त हैं यह कि कथित नामांतरण में रेस्पोंडेंट ने अपीलान्त का नाम छुपाते हुए नामांतरण भरवा कर स्वीकृत करवा लिया जबकि कथित नामांतरण स्वीकृत करवाने से पूर्व नेचुरल वारिसान को नोटिस देकर सुना जाना आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो नामांतरण स्वीकार किया है वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त है अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 168 दिनांक 26 जून 1990 निरस्त किया जाकर अपीलांट का भी एक बटा पांच हिस्सा मोडा जी की जायदाद में दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावे अपील प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र मयाद कंडोम कराने हेतु भी पेश किया गया रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मोडा जी का स्वर्गवास सन 1990 में होना स्वीकार है तथा उनके चार लड़के होना भी स्वीकार है परंतु अन्य इबारत बिल्कुल झूठी मनगढ़ंत बेबुनियाद होने से अस्वीकार्य है श्री मोड़ा जी के जाइंदा कोई लड़की नहीं है और बाबू बाई नामक महिला से मोड़ा जी का कोई संबंध नहीं है ऐसी स्थिति में मोड़ा जी की संपत्ति में श्रीमती बाबू बाई का कोई हक हिस्सा नहीं है ऐसी स्थिति में दिनांक 26 जून 1990 को खोला गया नामांतरण सत्य व सही है ऐसी स्थिति में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है रेस्पॉडेन्ट ने अपीलांट को मोडा जी की पुत्री मानने से इनकार करते हुए निवेदन किया कि उक्त संपत्ति मूल पुरुष श्री मोडा जी की निजी संपत्ति थी जो उन्होंने अपने जीवन काल में दिनांक 27.1. 1976 को अपने चारों पुत्रों नारायण लाल ए हीरा लाल ए ओगड़मल व डालचंद के बीच विभाजन कर चारों पुत्रों सहित स्वयं मोड़ा जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और मौके पर आधिपत्य सुपुर्द कर दिया ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24 . 11. 2015 अपील संख्या 7217/2013 सिविल अपील श्री प्रकाश मेहरा बनाम श्री फूलवती वगैरा के अनुसार कोई भी हिंदू महिला जिसके पिता की मृत्यु हिंदू सकसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के पूर्व हुई है उसे उसके पिता की संपत्ति में कोई हित हिसाब अधिकार नहीं है का सिद्धांत लागू होता है ऐसी स्थिति में भी यह अपील काबिल निरस्त है प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत नांदेशमा के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री मोड़ी राम पिता धुला जी मेहता ब्राह्मण के पांच संतान रेस्पोंडेंट एवं अपीलांट को बताते हुए दिनांक 18 दिसंबर 2017 को जारी पेश किया गया जवाब के साथ ग्राम पंचायत नांदेशमा के सरपंच द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2017 को जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें श्री मोड़ी राम के चार संताने रेस्पोंडेंट को बताते हुए पेश किया गया मामला संदिग्ध मानते हुए ग्राम पंचायत से पुष्टि बाबत रिपोर्ट मांगी गई किंतु ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई दोनों पक्षों की बहस सुनी गई अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट श्री मोड़ी की पुत्री है और उनकी संपत्ति में बराबर की हकदार है अतः प्रश्नगत नामांतरणकरण को निरस्त किया जावे साथ ही आरबीजे 2006 पृष्ठ 1 आरआरटी 2002 पृष्ठ 257 आरबीजे 2009 पृष्ठ 204 आरबीजे 1998 पृष्ठ 42 आरआरडी 1995 पृष्ठ 238 आरआरडी 1994 पृष्ठ 308 पेश किए अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

Scanned by CamScanner

निवेदन किया कि अपील आंट श्री मोतीलाल की पुत्री नहीं है एवं जो नामांतरण ग्राम पंचायत नांदेशमा द्वारा खोला गया है वह सही एवं उचित है साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण संख्या 7217 ऑब्लिक 2013 का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि 20 दिसंबर 2004 से पूर्व जिन संपत्तियों का बंटवारा हो चुका है उनमें पुत्री अपना अधिकार नहीं मांग सकती अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस एवं नजीरो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार 20 दिसंबर 2004 से पूर्व हो चुके विभाजन पर संशोधित अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अपील में वर्णित नामांतर करण 26 जून 1990 में फैसल हो चुका है अतः इस नामांतरण में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं पाते हैं अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार कर पत्रावली फैसल शुमार की जाती है निर्णय सुनाया गया।

14/11/2020

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2020.02.20 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: